



अधिसूचना

बी0एस-सी0 कृषि द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा 2020 में अनुचित साधन प्रयोग में आरोपित परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका का सम्बन्धित विषय के शिक्षको से मूल्यांकन कराने के पश्चात् उनकी संस्तुतियों एवं अनुचित साधन प्रयोग सम्बन्धित अध्यादेश में विहित प्राविधानों के आलोक में निम्नलिखित परीक्षार्थियों को अनुचित साधन प्रयोग में दोषी पाये जाने के कारण उनकी वर्ष 2020 की परीक्षा निरस्त की जाती है एवं उन्हें 2021 की परीक्षा से वंचित किया जाता है-

क्र0सं0	का0को0	महा0का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	अनुक्रमांक	कक्षा	विषय	प्र0को0
1	220	चौधरी चरण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय पदमापुर पाण्डवनगर, बस्ती।	रवि रंजन कुमार	20220762110165	बी0एस-सी द्वितीय सेमेस्टर	कृषि	2416
2	220	चौधरी चरण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय पदमापुर पाण्डवनगर, बस्ती।	सुनील कुमार	20220762110202	बी0एस-सी द्वितीय सेमेस्टर	कृषि	2418
3	812	विमला विक्रम महाविद्यालय पंचपेड़वा बलरामपुर।	नसीर अहमद मुस्तमान	20813762110072	बी0एस-सी द्वितीय सेमेस्टर	कृषि	2421


(शेख अंबुम)

सहायक कुलसचिव(यू0एफ0एम0)
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक: 148/सि0वि0वि0क0सि0/गो0अनु0/2021 तददिनांक 30.06.2021

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. कुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. प्रभारी,परितुलन/गोपनीय को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सारणीयन पत्रिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियाँ कर परीक्षाफल निरस्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।
4. प्रभारी, कोडिंग सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की बेवासाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड फाइल।

सहायक कुलसचिव(यू0एफ0एम0)